रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1972/श्रावण 7, 1894

No. 174] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1972/SRAVANA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th July 1972

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1972—March, 1973 (Amendment No. 14).*

No. 111-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for the Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume II) for the period April, 72—March, 73, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3rd April, 1972.

2. The existing sub-paragraph Nos. (ii), (iv), (v) and (vii) of paragraph 38 of Part B, Section 1 given at pages 9-10 of the above referred Policy Book may be substituted respectively by the following:—

"(ii) The item to be imported is covered by the actual user licence on the date of opening of irrevocable Letter of Credit.

(iv) The item imported is not partially or fully canalized or banned in terms of the import policy for actual users in force on the date of opening of irrevocable Letter of Credit.

(v) The item to be imported is not subject to any value or quantitative restriction in terms of the import policy for actual users in force on

the date of opening of irrevocable letter of credit, even though the item may have been allowed without such restriction on the actual user licence.

(vii) The import of stainless steel sheets/plates/circles/strips of any specifications and stainless steel bars/rods and stainless steel of any sections as well as stainless steel in any other semi-finished form and import of items licensable under the import policy in force on the date of opening of irrevocable letter of credit, subject to production of non-availability certificate from indigenous producers, placement of firm orders on indigenous producers, will not be allowed to be imported under this facility."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1972

विषय .—अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 14)।

सं० 111–आई०टी०सी० (पी एन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47–आई०टी०सी (पी एन)/72, दिनांक 3–4–72 के अन्तर्गत अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक रेडबुक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त उल्लिखित नीति पुस्तक के पृष्ठ 9–10 पर खंड 1, भाग बी की कंडिका 38 की वर्तमान उपकंडिका संख्या (ii), (iv), (v) तथा (vii) को क्रमानुसार निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(ii) अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने की तारीख को आयात की जाने वाली मद वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस में शामिल की जाती है।

(iv) आयात को जाने वाली मद अपरिवर्तनीय-साखपत्र खोलने की तारीख को लागू वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए आयात नीति की शर्तों के अनुसार आंशिक या पूर्णतया सरणीबद्ध नहीं है या प्रतिबन्धित नहीं है।

(v) आयात की जाने वाली मद अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने की तारीख को लागू वास्तविक उपयोक्ताओं के लिए आयात नीति की शर्तों के अनुसार किसी मूल्य या मात्रा प्रतिबंधिता के अधीन नहीं है यहां तक कि मद की ऐसी प्रतिबन्धिता के बिना भी वास्तविक उपयोक्ता लाइसेंस पर स्वीकृति क्यों न दी गई हो।

(vii) जंगावरोधी इस्पात चद्दरें/प्लेटस/सर्किल्स किसी भी विशिष्टिकरण की कतरन और जंगावरोधी इस्पात पट्टी/छड़ और किसी भी सेक्शन के जंगावरोधी इस्पात और साथ ही साथ किसी भी अन्य अर्द्धनिर्मित रूप में जंगावरोधी इस्पात के आयात की तथा अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने की तारीख को लागू आयात नीति के अन्तर्गत लाइसेंस दिए जाने योग्य मदों के आयात की जो देशी उत्पादकों से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण, देशी उत्पादकों को पक्का आदेश दिए जाने के अधीन हैं इस सुविधा के अन्तर्गत आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972